बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष

वैद्यनाथ प्रसाद

(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

5/1/

पत्र संख्या 1

दिनांक 5.4.2004

सेवा में,

उप सचिव,

मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- माननीया मुख्य मंत्री से साक्षात्कार के लिए समय निर्धारित करने के संबंध में ।

महाशय,

दिनांक 19.10.2003 को संपन्न बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा में नव निर्वाचित अध्यक्ष/महासचिव, संघ की विभिन्न मांगों पर विचार करने हेतु माननीया मुख्य मंत्री से साक्षात्कार करना चाहते हैं ।

संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन, पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि साक्षात्कार के लिए तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करने की कृपा की जाय ।

5/1/04

विश्वासभाजन,

5/1/0

(विपिन कुमार सिन्हा)

महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

ज्ञापन

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीया मुख्य मंत्री का संघ के पदाधिकारियों के निम्नांकित कठिनाई एवं मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है :-

1. बिहार प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा की प्रथम प्राथमिकता की सेवा है । पूर्व में बिहार असैनिक सेवा की दो उप शाखाएं थी, कार्यपालिका शाखा एवं न्यायपालिका शाखा । दोनों शाखाओं के लिए समान वेतनमान था । न्यायपालिका शाखा जो अब न्यायिक सेवा कहलाता है के लिए 9000-14,500/- रूपये का वेतनमान स्वीकृत हुआ है । यहां तक कि विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं को भी 8000-13500 का वेतनमान दिया जा चुका है । परन्तु कार्यपालिका शाखा जो अब बिहार प्रशासनिक सेवा है के लिए पंचम वेतन पुनरीक्षण 2200-4000/- रू0 के वेतनमान का सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान 8000-13500/- रू0 भी नहीं दिया गया है । पुनः प्रशाखा पदाधिकारी एवं पूर्व के पर्यवेक्षीय स्तरीय कई पदों को 6500-10500/- का पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है । कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार प्रशासनिक सेवा को 8000-13500/- रू0 का पुनरीक्षित वेतनमान औचित्यपूर्ण है ।

2. वर्ष 1999 के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का किसी स्तर पर प्रोन्नतियां नहीं हुई है । विगत चार वर्षो से सभी स्तर पर रिक्तियां हैं । सभी पद प्रशासनिक दायित्व के हैं और अधिकांश पद कार्यालय प्रधान के हैं, जिस कारण पदों की रिक्ति से कार्य में बाधा हो रही है और विकास की गति पर भी प्रभाव पड़ रहा है । राज्य सरकार के मध्यम स्तरीय उच्चतर पदों में से आधा से अधिक रिक्त है, जिस कारण न केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में असंतोा एवं कुंठा व्याप्त हो रहा है बल्कि राज्य सरकार द्वारा भी कार्य कराने में कठिनाई महसूस की जा रही होगी ।

बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति वर्ष 2001 से नही हुई है और कुल 42 पद रिक्त हैं । निदेशक स्तरीय तीन पदों पर प्रोन्नति एवं पदस्थापन अपेक्षित है ।

संयुक्त सचिव/उप विकास आयुक्त के कुल परिणामी रिक्तियां 60 के लिए पैनल बनाकर प्रोन्नति आवश्यक है ।

उप सचिव/अपर जिला दण्डाधिकारी स्तरीय कुल परिणामी रिक्ति 180 है, के विरूद्व पैनल तैयार कराकर प्रोन्नति अपेक्षित है ।

अवर सचिव/अनुमंडल पदाधिकारी स्तरीय कुल परिणामी रिक्तियां 200 है, के विरूद्व पैनल बनाकर प्रोन्नति दिया जाना है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या   दिनांक

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से अखिल भारतीय सिविल/राज्य प्रशासनिक सेवा फेडरेशन के दिसम्बर, 03 की बैठक में भाग लेने पर ज्ञात हुआ कि भारत वर्ष के लगभग सभी राज्यों में पूर्ववत् प्रोन्नतियां दी जा रही हैं । बिहार सरकार के अधीन सिंचाई, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभागों में भी प्रोन्नतियां दी गयी है । माननीय सर्वोच्च नन्यायालय के अंतरिम आदेशानुसार प्रोन्नतियां देने में कोई रूकावट नहीं है और इसी कारण से माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संयुक्त सचिव के 10 पदों पर प्रोन्नतियां दी गयी । अतः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.02 को अवेन्स (Abeyance) में रखते हुये अविलंब प्रोन्नतियां दिया जाना राज्य एवं कर्मी दोनों के हित में है ।

4. बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारी वर्षो से निलंबित हैं और विभागीय कार्यवाही का स-समय संचालन नहीं हो पा रहा है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 9160 दिनांक 21.07.86 के आलोक में दो वर्षो से अधिक समय से निलंबित पदाधिकारियों को अविलंब निलंबन से मुक्त करना चाहेगी ।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा अन्य विभागों में पदाधिकारियों के पदस्थपन हेतु प्रतीक्षारत अवधि काफी लम्बी हो रही है और इस अवधि में उन पदाधिकारियों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है । राज्य सरकार 15 दिनों के अंदर पदस्थापन सम्बन्धी प्रावधानानुसार पदस्थागन सुनिश्चित कराना चाहेगी ।

6. स्व0 दिवाकर साह, पूर्व अंचलाधिकारी, बारसोई (कटिहार) का कर्तव्य अवधि में हत्या हो गयी । उनकी विधवा श्रीमती स्मिता साह को अनुकंपा के आधार पर पटना में ही स्नातक अर्हता के पद पर नियुक्ति से प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा ।

7. राज्य हित एवं प्रशासनिक हित में संघ मांग करती है कि पदस्थापित जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचलों में मूलभूत सुविधाएं तत्परता से उपलब्ध करायी जाय ।

8. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा शर्तो में सुधार आवश्यक है । केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान को आधार रखकर स्तर वार कालावधि का निर्धारण किया गया है । हर दो स्तर के बीच कलावधि को प्रोन्नति के समय में ध्यान रखा जाता है, परन्तु प्रथम स्तर के प्रोन्नति उस स्तर के कलावधि 8 वर्ष के स्थान पर 15-18 वर्षो के उपरांत हो रहा है इसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है । संघ मांग करती है कि या तो निर्धारित कलावधि पर प्रत्येक स्तर पर प्रोन्नतियां दी जाये, केन्द्र सरकार की भांति (टाईम स्केल के रूप में) या कलावधियां उच्चतर स्तर के लिए आमेलन (Clubbed) कर दिया जाय ।

9. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सुदूर क्षेत्रो में पदस्थापित रहते हैं और विगत वर्षो में उनके उपर हमला, यहां तक की उनकी हत्या की कई घटनाएं घटी हैं । संघ मांग करती है कि कार्यालय प्रधान के रूप में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को एक-एक अंगरक्षक तथा सरकारी वाहन एवं छोटा आग्नेयास्त्र उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

10. राजस्व एवं अन्य कई विभागों में बिहार प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पद पर अन्य संवर्गीय पदाधिकारियों का पदस्थापन किये जाने की सूचना संघ को है और इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार सरकार को ज्ञापन देकर संघ के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया गया है तथा ऐसे पदस्थापन को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है । परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई किये जाने सम्बन्धी सूचना संघ को नहीं दी जा रही है । अतः बिहार प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पद पर अन्य संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन को तुरंत रोका जाय ताकि दो संवर्गों में आपसी वैमनस्यक न हो ।

5/1/04

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अध्यक्ष